कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

क्रमांक / सहायता / बाढ / मरम्मत / 2020 / 3366 दिनांक : 17-12-2020

प्रशासनिक स्वीकृति

संयुक्त शासन सचिव, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर के स्वीकृति आदेश क्रमांक प. 8(3)आ.प्र. एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ/20/14936-43 दिनांक 27.11.20 द्वारा मानसून, 2020 के दौरान भारी वर्षा से जयपुर जिले के उपखण्ड शाहपुरा, आमेर, जयपुर तथा जमवारामगढ में क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड- शाहपुरा, अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड- दूदू तथा अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड, बस्सी से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार सडकें, जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है, के अनुसरण में जयपुर जिले की तहसील आमेर, शाहपुरा, जयपुर तथा जमवारामगढ क्षेत्र की उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अभिशंषा सहित प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार मरम्मत कार्य करवाये जाने हैं। उक्त आदेशों की अनुपालना में नीचे अंकित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। विवरण इस प्रकार है :-

कार्यकारी अभिकरण : अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड-दूदू, जयपुर

उपखण्ड - जयपुर

क्र.सं.	सडक मरम्मत कार्य का नाम	क्षतिग्रस्त हिस्से की लोकेशन (किमी. से किमी तक)	राशि (लाखों में)
1	बेगस से सारण की ढाणी 0/0 से 8/0	0/0 से 3/200	1.92
2	एम.डी.आर.-81 अचानचुकिया 0/0 से 1/900	0/0 से 1/900	1.14
3	बेगस से बोराज 0/0 से 5/500	0/0 से 5/500	4.84
4	बेगस से श्योदार टाटला की ढाणी 0/0 से 5/900	0/0 से 5/900	3.54
5	कापाडियावास से गोविन्दा की ढाणी 0/0 से 3/0	0/0 से 3/0	1.80
6	कंवर का बास से बडलाल की ढाणी	0/0 से 1/600	0.96
7	भम्भौरी से ढाणी इन्दोकिया 0/0 से 3/500	0/0 से 3/500	2.10
8	श्योसिंहपुरा से गुड़ालिया 0/0 से 2/400	0/0 से 2/400	1.44
9	रामकुई से महलों की ढाणी 0/0 से 2/200	0/0 से 3/200	1.92
10	कालवाड से मालीवाडा 0/0 से 3/0	0/0 से 3/0	1.80
11	मुण्डियाराम सर से कानरपुरा वाया चकरामसर 2/0 से 4/800	2/0 से 4/800	1.68
12	धानक्या फाटक से मसानों की टूटी 0/0 से 2/500	0/0 से 2/500	1.50
13	एम.डी.आर. टोंक सीमा रसीली से बगरू बेगस पचार लुनियावास 50/0 से 52/500, 55/500 से 62/0	50/0 से 52/500, 55/500 से 62/0	5.40
14	बैनाड रेल्वे स्टेशन से खोरा बीसल	पैरा 2 के अनुसार	7.04
15	सरना डूंगर से द्वितीय क्षेत्रफल सर्किल कि.मी. 0/0 से 1/0		1.20
16	कालवाड मुण्डोता रोड	0/0 से 1/00	1.80
17	निवारू से बोयतावाला	0/0 से 2/00	1.20
18	सरना चौड से कुम्हारों की ढाणी	0/0 से 1/200	1.20
19	कालवाड से मण्डाभोपावास	0/0 से 1/00	0.60
20	लाल चन्दपुरा से वाया मेशारामपुरा रीको बाबडी	0/0 से 2/00	3.52
21	कालवाड रोड से धर्मपुरा गजघरपुरा	1/0 से 2/00	0.60
	योग		47.20

उपरोक्त मरम्मत कार्य निम्न शर्तों के अधीन शर्तों के अधीन करवाये जावेगें।

1. उपरोक्त मरम्मत कार्य आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान के स्वीकृति क्रमांक 14936-43 दिनांक 27.11.2020, दिशा-निर्देश कमाक 12384-85 दि. 24.09.2020 में अंकित शर्तो एवं राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तथा इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार करवाये जावेगें।
2. ये सभी कार्य प्रारम्भ किए जाने की तिथि से 30 दिवस की निर्धारित अवधि में ही पूर्ण कराने होंगें। निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान द्वारा जारी कोष से मरम्मत कराये जाने संभव नहीं होगें, कार्यकारी विभाग द्वारा विभागीय बजट से पूर्ण कराये जावेगें।
3. वे सडकें जो Defect Liability Period के तहत आती हैं अथवा वे सडकें जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं तथा पेचवर्क से ठीक करने लायक नहीं है, उनकी मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से देय नहीं होगी।

4. कार्यकारी अभिकरण उक्त कार्यों के तकमीना तथा तकमीना स्वीकृति के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी कर भिजवाना सुनिश्चित करेगें कि ***उनके पास राज्य बजट मद अनुरक्षण एवं सामग्री मद में वित्तीय वर्ष 2020–21 में राशि उपलब्ध नहीं है तथा उक्त मद में राशि उपलब्ध होने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से राशि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि अवशेष रहने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद को अवशेष राशि पुनर्भरण कर दी जावेगी।***
5. **स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा–निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावें।**
6. कार्यकारी विभाग बिना वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यारम्भ नहीं करेगें, अगर कार्यारम्भ किया जाता है, तो कार्यकारी विभाग के बजट मद से मरम्मत राशि वहन की जावेगी। समयावधि में उपयोग न हो सकने वाली राशि बिना किसी विलम्ब से समर्पित की जावे।
7. उपरोक्त मरम्मत कार्यों के तकमीना/ तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी विभाग द्वारा जारी किये जाने के उपरान्त ही इस कार्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।
8. उपरोक्त मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावे। इस हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी/ तहसीलदार/विकास अधिकारी/सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की सुनिश्चितता बनाए रखने हेतु समय–समय पर निरीक्षण करें तथा उपखण्ड स्तरीय समिति निर्धारित अवधि में कार्यपूर्णता का प्रमाण पत्र प्रेषित करेगी।
9. अंकित कार्यों पर व्यय का अंकेक्षण होने पर अंकेक्षण कराने, आक्षेप अनुपालना पूर्ण कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी अभिकरण की होगी।
10. कार्यकारी अभिकरण पूर्व के बकाया आक्षेपों की पूर्ति उपरोक्त स्वीकृत कार्यों के भुगतान से करवाना सुनिश्चित करें।
11. **उक्त प्रशासनिक स्वीकृति में स्वीकृत कार्यों में से यदि मरम्मत कार्य विभागीय बजट मद से पूर्ण करवा लिये गये हैं, तो उन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जावे।**

जिला कलक्टर,
जयपुर

क्रमांक/सम/ 3367-72 दिनांक : 17-12-2020

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर
3. अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड– दूदू जयपुर
4. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम
5. तहसीलदार, जयपुर
6. विकास अधिकारी, पं.स., झोटवाडा
7. गार्ड पत्रावली।

16/12/2020
जिला कलक्टर,
जयपुर